अध्याय-IV: योगदान एवं वसूली

4.1 नियोक्ताओं का दायित्व

क.भ.नि.योजना के पैरा 30 (3) के अनुसार, मुख्य नियोक्ता का दायित्व यह है कि वह अपने द्वारा सीधे नियुक्त किए गए कर्मचारियों तथा ठेकेदार के द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में योगदान और प्रशासनिक प्रभारों का भुगतान करे।

4.2 मांग संग्रह शेष पंजिका (मां.सं.शे.पं.)

सभी स्थापनाओं के लिए क्षे.का./उ.क्षे.का. में मां.सं.शे.पं. का अनुरक्षण किया जाता है। मां.सं.शे.पं. में प्रविष्टियां, नियोक्ता द्वारा बैंक में किए गए प्रेषणों के चालानों के साथ मासिक विवरणों के आधार पर की जाती है। मां.सं.शे.पं. चूककर्ताओं की सूची तथा क्षतिपूर्ति विवरण को तैयार करने में मदद करता है जिसे फिर देय राशि की वसूली हेतु कार्रवाई आरंभ करने के लिए प्रवर्तन शाखा तथा दंडात्मक क्षतिपूर्ति प्रकोष्ठ को हस्तांतरित कर दिया जाता है। मां.सं.शे.पं., बैंकों से प्राप्त रसीदों की अनुसूची के साथ मिलान को सुगम बनाता है ताकि बैंकों (लेखांकन प्रक्रिया की नियमावली का पैरा 4.5.3., भाग-1 सामान्य) द्वारा चूक का गठन करने वाले लंबित प्रेषणों को प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार, मां.सं.शे.पं. एक महत्वपूर्ण नियंत्रण पंजी है तथा इसका उचित रूप से अनुरक्षण अपेक्षित है।

निम्नलिखित राज्यों में चयनित क्षे.का./उ.क्षे.का. से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि मां.सं.शे.पं. को न तो अनुरक्षित किया जा रहा था और न ही बैंक की रसीदों के साथ मिलान किया जा रहा था।

- दिल्ली क्षे.का. (उत्तर) और क्षे.का. (दक्षिण) में, मां.सं.शे.पं. का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था।
- कर्नाटक (क्षे.का. बैंगलौर तथा उ.क्षे.का. चिक्कमगलूर) में मां.सं.शे.पं. का मासिक अद्यतन नहीं किया जा रहा था।
- राजस्थान (क्षे.का. जयपुर तथा तीन उ.क्षे.का.) में, 2005-06 से मां.सं.शे.पं. का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था।

- झारखंड में मां.सं.शे.पं. में प्रविष्टि मासिक रूप से नहीं की जा रही थी और कुछ मामलों में प्रविष्टि वार्षिक रूप से की जाती थी।

मां.सं.शे.पं. के अनुरक्षण या अद्यतन न होने के कारण, क.भ.नि.सं. प्राधिकारियों ने विगत राशियों के प्रति प्रेषण एवं देय राशियों की प्राप्ति पर नजर रखने तथा चूककर्ताओं की सूचियों की यथार्थता को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण नियंत्रण तंत्र खो दिया।

क.भ.नि.सं. ने बताया (सितम्बर 2013) कि इलैक्ट्रॉनिक चालान-सह-वापसी (इ.चा.वा.) सुविधा को पहले से ही नए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डाल दिया गया है जोकि मां.सं.शे.पं. को स्वतः अद्यतित कर देगा।

क.भ.नि.सं. द्वारा की गई कार्रवाई प्रशंसनीय है, लेकिन, यह केवल वर्तमान प्रेषणों को ही मॉनीटर करेगी और मां.सं.शे.पं. में विगत अंतराल रहेंगें।

अनुशंसाः *क.भ.नि.सं. को मां.सं.शे.पं. के व्यापक अद्यतन, यथोचित चूककर्ताओं की सूची बनाना तथा आवश्यक वसूलियों को आरंभ करने की कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।*

4.3 भविष्य निधि एवं प्रशासनिक प्रभारों के बकाया

क.भ.नि. योजना का पैरा 38 प्रदान करता है कि प्रत्येक नियोक्ता को कर्मचारियों के वेतन से उनके योगदान की कटौती कर, अपने योगदान तथा प्रशासनिक प्रभारों के साथ, प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर उसे जमा कराना होगा। क.भ.नि.सं. मुख्यालय पर वसूली निदेशालय, वसूलियों से संबंधित अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के निष्पादन को मॉनीटर करता है।

31 मार्च 2012 तक, क.भ.नि. के लेखा पर ₹ 1723 करोड़ का कुल बकाया था। लेखापरीक्षा में नमूना जांच से पता चला कि 31 मार्च 2012 तक निम्न पांच राज्यों से चयनित क्षे.का./उ.क्षे.का. में 20,974 स्थापनाओं से क.भ.नि. बकाया के लेखा पर ₹ 313.20 करोड़ की राशि वसूली योग्य थी।

तालिका 4.1: क.भ.नि. का बकाया

राज्य	*स्थापनाओं की संख्या*	*कुल देय राशि (₹ करोड़ में)*
पश्चिम बंगाल	96	6.55
गुजरात	1902	87.33
तमिलनाडु	10303	135.61
हरियाणा	1262	25.18
पंजाब	7411	58.53
कुल	**20974**	**313.20**

इसके अतिरिक्त, मार्च 2012 तक प्रशासनिक एवं निरीक्षण प्रभारों के कारण कुल बकाया ₹ 143.60 करोड़ था। केरल, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु के तीन राज्यों में छूट प्राप्त न हुई स्थापनाओं से संबंधित प्रशासनिक प्रभार, 2006-12 के दौरान 17213 स्थापनाओं को शामिल करते हुए ₹ 16.94 करोड़ से बढ़कर 19316 स्थापनाओं को शामिल करते हुए ₹ 27.87 करोड़ तक बढ़ गए थे।

महाराष्ट्र, ओडीशा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा एवं पंजाब से संबंधित प्रशासनिक/निरीक्षण प्रभारों के लिए राज्य विनिर्दिष्ट निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं।

तालिका 4.2: प्रशासनिक/निरीक्षण प्रभारों के बकायों पर राज्य विनिर्दिष्ट निष्कर्ष

राज्य	अभ्युक्तियां
महाराष्ट्र	क्षे.का. (मुम्बई-I बान्द्रा) में, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम से निरीक्षण प्रभारों के प्रति वसूली के लिए ₹ 25.95 करोड़ (2003-04 तक ₹ 14.64 करोड़, अप्रैल 2004 से मार्च 2009 तक ₹ 8.95 करोड़ तथा अप्रैल 2009 से मार्च 2011 तक ₹ 2.36 करोड़) की कुल राशि लंबित थी।
ओडीशा	2279 चूक स्थापनाओं से ₹ 4.33 करोड़ के प्रशासनिक प्रभार बकाया थे। छूट प्राप्त स्थापनाओं के संबंध में, ₹ 4.65 करोड़ के वसूली योग्य निरीक्षण प्रभार बकाया थे। उ.क्षे.का., क्योन्झार ने 2006-07 से लेकर 2011-12 तक अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया था। उ.क्षे.का., बरहमपुर ने भी छूट प्राप्त स्थापनाओं के निरीक्षण प्रभारों के लिए अपेक्षित जानकारी युक्त अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया था।

केरल	क्षे.का. तिरूवनंतपुरम में, 2006-07 से 2011-12 की अवधि के दौरान प्रशासनिक प्रभारों की गैर वसूली ₹ 5.89 करोड़ से ₹ 7.78 करोड़ तक 3602 से 4400 स्थापनाओं तक बढ़ गई थी।
कर्नाटक	क्षे.का., बैंगलौर में, 31 मार्च 2012 तक वसूली योग्य योगदान तथा निरीक्षण प्रभारों की राशि ₹ 10.23 करोड़ थी।
तमिलनाडु	मार्च 2012 तक 12182 स्थापनाओं पर प्रशासन प्रभारों के प्रति ₹ 9.48 करोड़ की संग्रहण की राशि लंबित थी।
हरियाणा	31 मार्च 2012 तक क्षे.का. फरीदाबाद में 1284 स्थापनाओं के संबंध में ₹ 2.03 करोड़ तथा क्षे.का. गुड़गांव में 960 स्थापनाओं के संबंध में ₹ 41.71 करोड़ की राशि बकाया थी।
पंजाब	31 मार्च 2012 तक प्रशासनिक प्रभारों के प्रति क्षे.का. लुधियाना में 2573 स्थापनाओं के संबंध में ₹ 1.29 करोड़ तथा क्षे.का. चंड़ीगढ़ में 4329 स्थापनाओं के संबंध में ₹ 5.21 करोड़ लंबित थे।

क.भ.नि.सं. से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2013).

4.4 विलंबित क्रेडिट के लिए बैंक द्वारा देय ब्याज

क.भ.नि.सं. की ओर से उदग्राह्य राशियों को भारतीय स्टेट बैंक (भा.स्टे.बैं.) वसूल करता है।

लेखा प्रक्रिया की नियमावली (सामान्य) के पैरा 6.9.1 के अनुसार प्रत्येक दिन भा.स्टे.बैं. की शाखाओं द्वारा प्राप्त योगदानों तथा अन्य देय राशियों को उसी दिन भा.स्टे.बैं. की संबंधित लिंक शाखा को प्रेषित कर दिया जाना चाहिए। अंतरण में किसी भी प्रकार के विलंब से निधि तथा उस पर मिलने वाले ब्याज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, भा.स्टे.बैं. के पास जमा की गई राशि को स्थापना द्वारा चालान के प्रस्तुतीकरण की तिथि से सात दिनों के भीतर क.भ.नि.सं. के खाते में जमा कर देना चाहिए। राशि के अंतरण में विलंब, अपनी बचत दर से ऊपर दो *प्रतिशत* अधिक ब्याज अर्जित करता है।

चयनित क्षे.का./उ.क्षे.का. की नमूना जांच से पता चला कि 31 मार्च, 2012 को बैंक द्वारा क.भ.नि.सं. के खाते में जमा करवाने में विलंब के कारण निम्नलिखित राज्यों में अतिरिक्त दो *प्रतिशत* के प्रति ₹ 7.74 करोड़ तक की राशि का ब्याज वसूली योग्य था:

तालिका 4.3: वसूली योग्य ब्याज का विवरण

राज्य तथा क्षे.का./उ.क्षे.का.	वसूली योग्य ब्याज की राशि (₹ करोड़ में)
पश्चिम बंगाल (क्षे.का. कोलकाता, उ.क्षे.का. पार्क स्ट्रीट)	2.99
कर्नाटक (क्षे.का. बैंगलौर, उ.क्षे.का. मैसूर तथा चिक्कमगलूर)	1.13
पंजाब (क्षे.का. लुधियाना)	0.40
मध्य प्रदेश (उ.क्षे.का. ग्वालियर तथा भोपाल)	1.12
केरल (क्षे.का. तिरूवनंतपुरम)	2.10
कुल	**7.74**

यद्यपि, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के साथ केन्द्रीय कार्यालय उचित एवं शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार था लेकिन बैंक द्वारा विलंबित क्रेडिट का पता लगाने की प्रणाली गैर-कार्यात्मक थी।

राशि की वसूली के लिए क.भ.नि.सं. द्वारा लिए गए कदम, अभिलेख में नहीं थे।

अनुशंसा: *क.भ.नि.सं., भा.स्टे.बैं. द्वारा समय पर की गई जमाओं के प्रेषण की निगरानी हेतु एक प्रभावी तंत्र की स्थापना करे।*

4.5 क्षतियों एवं जुर्माने का उद्ग्रहण तथा प्राप्ति

सभी आवृत स्थापनाओं को प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के अंदर उनके बकायों का भुगतान अपेक्षित था। यदि निर्धारित समय के अंदर राशि जमा नहीं की जाती है तो अधिनियम की धारा 14ख के अंदर दण्डात्मक जुर्माना लगाया जा सकता है (योजना के पैरा 32क के साथ पठित लेखांकन प्रक्रिया नियमावली (भाग-1 सामान्य) के पैरा 5.1.3)।

यह देखा गया था कि क्षतियों के लिए राशि को लगाया तो गया था परंतु दोषी गैर छूट-प्राप्त स्थापनाओं से वसूली नहीं गयी थी जो 31 मार्च 2012 को ₹ 265.75 करोड़ थी। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया था कि शेष बकाया राशि 1 अप्रैल 2006 को ₹ 132.62 करोड़ से 31 मार्च 2012 को दुगुनी होकर ₹ 265.75 करोड़ हो गयी थी। पांच राज्यों, नामतः केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु एवं गोवा के चयनित क्षे.का./उ.क्षे.का. के विवरण नीचे दिये गये हैं।

तालिका4.4: गैर-छूट प्राप्त स्थापनाओं से क्षतियों के उद्ग्रहण एवं प्राप्ति

(राशि ₹ लाख में)

वर्ष	क्षतियों के अथ शेष		वर्ष के दौरान लगायी गयी क्षतियों की राशि		क्षतियों के बकाया शेष	
	स्थापनाओं की संख्या	राशि	लगायी गयी	प्राप्त की गयी	स्थापनाओं की संख्या	राशि
2006-07	6429	13261.84	4317.61	2401.21	5405	15178.24
2007-08	5405	15178.24	11453.27	2404.52	5606	24226.99
2008-09	5606	24226.99	4854.01	3014.90	5814	26066.10
2009-10	5814	26066.10	3458.07	1824.93	6327	27699.24
2010-11	6327	27699.24	4067.91	3411.39	9429	28356.46
2011-12	9429	28356.46	2701.12	4482.15	9270	26575.43

गुजरात, पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार क्षतियों के कारण ₹ 68.12 करोड़ की राशि बकाया में (31 मार्च 2012 को) थी:

- गुजरात में क्षतियों के बकाये ₹ 47.72 करोड़ थे।
- हरियाणा में (फरीदाबाद एवं गुड़गांव के क्षे.का.), 1371 दोषी स्थापनाओं से ₹ 15.28 करोड़ की क्षतियां बाकी थीं।
- पंजाब में (चण्डीगढ़ के क्षे.का.), 702 दोषी स्थापनाओं से ₹ 5.12 करोड़ की क्षतियां बकाया थीं।

क.भ.नि.सं. ने बताया (नवम्बर 2012) कि अधिनियम के प्रावधानों के इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सक्रिय अनुवर्तन हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के चयनित क्षे.का./उ.क्षे.का. से संबंधित गैर छूट-प्राप्त स्थापनाओं से जुर्माने के बकाये 2006-07 से 2011-12 में ₹ 443.65 लाख से बढ़कर ₹ 1371.90 लाख हो गये थे। विवरण नीचे की तालिका में हैं।

तालिका 4.5: जुर्मानों का उद्ग्रहण

(राशि ₹ लाख में)

वर्ष	दोषी स्थापनाओं की संख्या	उद्ग्रहणीय जुर्माने	उद्ग्रहित जुर्माने	गिरावट
2006-07	7546	2799.19	2355.54	443.65
2007-08	9105	4082.12	3129.99	952.13
2008-09	7286	7666.87	6279.28	1387.59
2009-10	9918	3127.33	1982.63	1144.70
2010-11	15949	13397.98	7764.13	5633.85
2011-12	8176	3603.02	2231.12	1371.90

4.6 न्यासी मंडल (न्या.मं.) को छूट-प्राप्त स्थापनाओं द्वारा निधियों का अंतरण

4.6.1 निधियों का अंतरण

क.पे.नि. योजना 1952 के अनुसार, छूट-प्राप्त स्थापनाओं के लिए, नियोक्ता द्वारा अपने न्यासी मंडल (न्या.मं.) को अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित दरों पर, जिस माह के लिए अंशदान होना है उसकी 15वीं तारीख तक, भविष्य निधि में स्वयं के एवं कर्मचारियों के अंशदान का अंतरण करना होगा। नियोक्ता को, अधिनियम की धारा 7-थ के प्रावधानों के अनुसार न्या.मं. को बकायों के भुगतान में किसी प्रकार के विलंब के लिए साधारण ब्याज अदा करना होगा। नियोक्ता द्वारा अथवा न्यासी मंडल द्वारा छूट प्राप्ति हेतु शर्तों के किसी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में, दी गयी छूट रद्द की जा सकती है।

मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान तथा केरल के चयनित क्षे.का./उ.क्षे.का. अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि छूट-प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं ने अपने संबंधित न्यासी मंडलों के पास ₹ 129.20 करोड़[1] जमा नहीं कराया था।

स्थापनाओं द्वारा संबंधित न्यासी मंडलों को निधियों का अंतरण नहीं करना दर्शाता है कि स्थापना छूट के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे। क.भ.नि.सं. ने इन दोषी स्थापनाओं की छूट को रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

क.भ.नि.सं. ने बताया (नवम्बर 2012) कि नियमानुसार तत्काल कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

---

[1] मध्य प्रदेश ₹ 17.67 करोड़, पश्चिम बंगाल ₹ 62.84 करोड़, राजस्थान ₹ 45.43 करोड़, केरल ₹ 3.26 करोड़।

4.6.2 न्या.मं. द्वारा गैर-निवेशित निधियाँ

छूट प्राप्त स्थापनाओं के न्यासी मंडलों (न्या.मं.) द्वारा एकत्रित निधियों का, केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित तरीकों में प्रत्येक माह निवेश करना अपेक्षित था। सरकार के निर्देशानुसार निवेश करने में विफलता न्या.मं. को अतिरिक्त प्रभार के भुगतान हेतु उत्तरदायी बनाएगी।

यह देखा गया कि पाँच राज्यों के चयनित क्षे.का./उ.क्षे.का. में 249 छूट-प्राप्त स्थापनाओं द्वारा ₹ 299.78 करोड़ की राशि का निवेश नहीं किया था, जिसका विवरण निम्न अनुसार है (31 मार्च 2012)।

तालिका 4.6: न्या.मं. द्वारा निवेश नहीं की गयी निधियों के विवरण

राज्य	स्थापनाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
ओडिशा	21	5.76
केरल	161	73.84
गुजरात	46	5.86
छत्तीसगढ़	5	211.24
पंजाब	16	3.08
कुल	**249**	**299.78**

निधियों का निवेश नहीं किया जाना छूट शर्तों का उल्लंघन करता था।

क.भ.नि.सं. ने बताया (नवम्बर 2012) कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को ऐसे मामलों को, अधिनियम एवं योजना के प्रावधानों के प्रकाश में जांच करने एवं न्या.मं. जिन्होंने निधि को निवेशित किये बगैर अपने पास रखा के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

4.6.3 छूट के रद्द होने के पश्चात छूट-प्राप्त स्थापनाओं द्वारा निधि में एकत्रित शेषों का अंतरण

योजना के पैरा 28(1) (ii) के अनुसार, छूट-प्राप्त स्थापनाओं को, छूट के रद्द होने के पश्चात सारी संचित राशि को, छूट के रद्द होने के दस दिनों के अंदर, अंशदाताओं के नामे अंतरित करना अपेक्षित था।

यह देखा गया था कि क्षे.का. कोलकाता में 86 स्थापनाओं के छूट के रद्दीकरण के पश्चात भी, 42 स्थापनाओं के पास संचित ₹ 97.38 करोड़ की संचित राशि एक से पाँच वर्ष तक अंतरित नहीं की गयी थी।

4.7 चूक की स्थिति में नियोक्ताओं से बकायों का विचार

अधिनियम की धारा 7क संगठन को इस अधिनियम, योजना अथवा पेंशन योजना अथवा बीमा योजना के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत किसी नियोक्ता से बकाया राशि निश्चित करने की शक्ति देता है और वह आवश्यकतानुसार जैसा वह उचित समझे वैसी जाँच करवा सकता है। तदनुसार, क.भ.नि.सं. भविष्य निधि बकायों को निर्धारित करता है और दोषियों के प्रति मांग को बढ़ाता है। इन प्रावधानों के अंतर्गत प्रक्रियाएं अर्द्ध-न्यायिक होती हैं।

क.भ.नि.का. मुख्यालय ने (जनवरी 2009) प्रत्येक आकलन अधिकारी हेतु धारा 7क के अंतर्गत 50 मामलों के न्यूनतम निपटान का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके अतिरिक्त, सभी मामलों को तीन माह के अंदर अंतिम रूप दिया जाना अपेक्षित था, और किसी भी मामले को छः माह से अधिक तक लंबित नहीं रहना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा गोवा राज्यों में चयनित क्षे.का./उ.क्षे.का. में देयताओं के निर्धारण हेतु लंबित मामलों की संख्या मार्च 2007 के 7324 से बढ़कर मार्च 2010 में 11850 हो गयी थी जो तदुपरांत आगामी दो वर्षों के दौरान घटकर 7089 रह गयी।

31 मार्च 2012 तक 7089 मामलों में देयताओं के निर्धारण में विलंब का विस्तार निम्नानुसार था:

तीन माह तक विलम्ब	847 मामले
3-6 माह तक विलम्ब	1833 मामले
6 माह से अधिक विलम्ब	4409 मामले

इस प्रकार दोषियों की ओर से देयताओं के निर्धारण हेतु मामलों में लगातार लंबमानता थी।

मामला अध्ययन - कर्नाटक (क्षे.का. बंगलौर)

मैसर्स के.एस.आर.टी.सी. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, शान्ति नगर, बंगलौर (कोड सं. 41318) 30 सितम्बर, 1987 से ही शामिल किया गया था। के.एस.आर.टी.सी. ने क.भ.नि. अधिनियम, 1952 के अंतर्गत संस्थान को शामिल करने के विरूद्ध अपील किया था जो जनवरी 2000 में खारिज हो गया था। तथापि, शामिल किये जाने के बाद से ही इकाई क.भ.नि. नियमावली एवं इसके प्रावधानों की अनुपालना नहीं कर रही थी। धारा 7क के अंतर्गत जनवरी 2006 में छः वर्षों के अंतराल के पश्चात सम्मन जारी किया गया था। तथापि, 31 मार्च 2012 तक सितम्बर 2011 में नोटिस जारी करने और दिसम्बर 2012 में एक स्थगन नोटिस जारी करने के अतिरिक्त आगे कोई प्रगति नहीं हुई। इस प्रकार, इकाई को शामिल किये जाने के 25 वर्षों के पश्चात भी देयताओं का निर्धारण नहीं हुआ था।

4.8 दोषियों से देयताओं की वसूली

जहाँ नियोक्ता से कोई राशि बकाये में हो, अधिनियम की धारा 8ख, 8ग तथा 8च क.भ.नि.सं. को राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र (रा.व.प्र.) जारी करने तथा कुर्की तथा नियोक्ता अथवा प्रतिष्ठान के चल अथवा अचल संपत्ति के विक्रय द्वारा वसूली की शक्ति देता है।

छत्तीसगढ, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा तथा पंजाब में चयनित क्षे.का./उ.क्षे.का. में अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ (2006-07 से 2011-12 के दौरान कि):

- 14170 बैंक खाते जब्त किये गये। इसके अतिरिक्त, ₹ 911.72 करोड़ के वसूली योग्य राशि के प्रति, केवल ₹ 182.07 करोड़ की ही वसूली हुई थी।
- ₹ 686.97 करोड़ मूल्य वाली 3353 संपत्तियों के प्रति केवल 259 संपत्तियाँ ही जब्त हुई और ₹ 5.50 करोड़ की राशि वसूल की गयी।

मामला अध्ययन: वसूली प्रक्रियाएं शुरू करने में विलम्ब

कर्नाटक (क्षे.का., बंगलौर)

मैसर्स इस्मार्ट ग्लोबल लि., बंगलौर (के.एन.23372): ₹ 2.16 करोड़। प्रतिष्ठान ने दिसम्बर 2007 से अक्तूबर 2003 तक उल्लंघन किया और ₹ 209.62 लाख की राशि वसूली योग्य थी। रा.व.प्र. अप्रैल 2010 में जारी किया गया था और अभियोजन फरवरी 2011 में शुरू हुआ। दिसम्बर 2012 के अंत तक ₹ 216.00 लाख की वसूली होनी शेष है।

मैसर्स लक्ष्मी वाटिका लि., वसंत विहार, नई दिल्ली: ₹ 3.85 करोड़। प्रतिष्ठान जून 2006 से अप्रैल 2007 की अवधि के लिए क.भ.नि. बकाये जमा कराने में असफल रहा। दिसम्बर 2009 में एक नोटिस प्रस्तुत किया गया था जिसके बाद अप्रैल 2010 में ₹ 3.85 करोड़ के लिए रा.व.प्र. जारी किया गया। तदुपरांत, प्रतिष्ठान का पता नहीं लगाया जा सका और प्रतिष्ठान का बैंक खाता बंद पाया गया। परिणामस्वरूप, राशि की वसूली नहीं की जा सकी।